डिमाण्ड नोट

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक 3901 / 14-1(FP/UP/Others/ 146059/2021) मुजफ्फरनगर दिनांक, 1/4/2022।

सेवा में,

श्री रचिन कंसल, डी0जी0एम0,
मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0, आई0जी0एल0 भवन
प्लाट नं0-4 कम्युनिटी सैंटर, आर0के0पुरम सैक्टर-9
नई दिल्ली,-110022

विषय- जनपद मुजफ्फरनगर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा खतौली बाईपास से मुजफ्फरनगर-बार्डर (पी0डब्लू0 डी0 कि0मी0 चैनेज 0.000 से 9.200) व एन0एच0-58 कि0मी0 चैनेज 90.290 से 92.290 तक 12" डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाईप डालने हेतु 0.5600 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं विना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में ।(प्रस्ताव संख्या FP/UP/Others/ 146059/2021)

संदर्भः- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन का पत्राक-पी0-324 / 81- 2-2021-800 (21) / 2022 दिनांक-28.03.2022।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक-28.03.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)/ नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित एवं आपके कार्यापलय को पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा खतौली बाईपास से मुजफ्फरनगर-बार्डर (पी0डब्लू0 डी0 कि0मी0 चैनेज 0.000 से 9.200) व एन0एच0-58 कि0मी0 चैनेज 90.290 से 92.290 तक 12" डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाईप डालने हेतु 0.5600 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं विना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-28.03.2022 में उल्लिखित शर्त 09 के अनुपालन में वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि का आंकलन निम्नानुसार है-

1- संरक्षित वन का शुद्धवर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि					
शर्त संख्या-9	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	0.5600 हे0	957780.00 प्रति है0 (भारत सरकार की पत्र संख्या-5-3 / 2011-FC(VOL-I) दिनांक-06.01.2022 के क्रम में संशोधित एन0पी0वी0गणना)	536357.00	प्रयोक्ता एजेंन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
		योग-		536357.00	

अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र की छाया प्रति एवं भारत सरकार की पत्र संख्या-5-3 / 2011-FC(VOL-I) दिनांक-06.01.2022 के क्रम में संशोधित एन0पी0वी0गणना शीट सलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया सैद्धान्तिक में उल्लिखित शर्त संख्या-9 के अनुपालन में 0.5600है0 संरक्षित वन भूमि का शुद्धवर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रूपये-536357.00 (रूपये पांच लाख छत्तीस हजार तीन सौ सत्तावन मात्र), प्रयोक्ता एजेंसी के ई-पॉर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से कैम्पा फण्ड में नियमानुसार चालान जनरेट करते हुए, उक्त धनराशि जमा कराने का कष्ट करें तथा साथ ही उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासन की स्वीकृति दिनांक 28.03.2022 में उल्लिखित समस्त शर्त संख्या-1 से 21 तक की अनुपालन आख्या / प्रमाण पत्र / वचनबद्वताऐं इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

संख्या 3901 /14-1 दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,(वन संरक्षण)उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2-वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर ।
3- क्षेत्रीय वन अधिकारी मुजफ्फरनगर एवं जानसठ।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

Rec By
Sunil Kumar (IGL)
01/04/2022
M.N. 9760916981

Proposal No: FP/UP/Others/ 146059/2021

Laying of 12" dia natural gas pipe line at various roads, Khatoli by Pass to Muzafifarnagar Border, PWD km. chainage 0.00 to 9.200 km. NH- 58 km. chainage 92.290 to 90.290, total length 11.200 km. and total length hectare 0.5600 in social forestry division Muzaffarnagar by Indraprast Gas limted, New Delhi.

भारत सरकार की पत्र संख्या–5–3/2011–FC(VOL-1) दिनांक–06.01.2022 के क्रम में संशोधित एन0पी0वी0गणना शीट

" प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 (शुद्धवर्तमान मूल्य) की गणना

वन भूमि के शुद्धवर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की गणना–

1– हरियाली घनत्व –		0.3
2– इको क्लास श्रेणी–III (Tropical Dry Deciduous Forest)		
3– एन0पी0वी0 की दर प्रति है0	रूपये–	957780.00
4– आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–		0.5600 है0
5– कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–		**536357.00**

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संख्या-पी-324/81-2-2021-800(21)/2022

प्रेषक

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 28 मार्च 2022

विषय- जनपद मुजफ्फरनगर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा खतौली बाईपास से मुजफ्फरनगर बार्डर (पी0डब्लू0डी0 किमी0 चैनेज 0.000 से 9.200) व एन0एच0-58 किमी0 चैनेज 90.290 से 92.290 तक 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाईप डालने हेतु 0.5600 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं विना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव सं0-एफपी/यूपी/अदर्स/146059/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-1550/11-सी/एफपी/यूपी/अदर्स/146059/2021 दिनांक 18.11.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जवलायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के चैप्टर-4 के विन्दु-4.2 तथा पत्र संख्या-एफसी-11/165/2019/एफसी दिनांक 27.07.2020 पत्र संख्या-II/एफसी/आरओसी/35-2015(पार्ट-VI) दिनांक 22.11.2021 एवं पत्र दिनांक 03.11.2021 में विहित प्राविधानों के क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा खतौली बाईपास से मुजफ्फरनगर बार्डर (पी0डब्लू0डी0 किमी0 चैनेज 0.000 से 9.200) व एन0एच0-58 किमी0 चैनेज 90.290 से 92.290 तक 12'' डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाईप डालने हेतु 0.5600 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं विना वृक्ष पातन की अनुमति विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
2	भूमिगत गैस पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही विछाये जायेंगे।
3	गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00 मी0 गहराई 1.00 मी0 चौडाई से अधिक न होगी।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नही दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय मे दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/पारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करे, जिसमे वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल मे दर्शाया गया।
15	यदि प्रस्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क मे सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
17	परियोजना मे 12 इंच डाया भूमिगत नेचुरल गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष मे एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
19	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) मे अंकित 02 बिन्दुओ मे गैस पाईप लाइन से सम्बन्धित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
20	यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रयोक्ता एजेंसी के पास गैस पाईप लाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हे सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तो के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत।

	स्वीकृति प्रदान किया जायेगा।
21	प्रश्नगत अनुमति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य मे प्रकरण मे किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वय उत्तरदायी होंगे।

Signed by आशीष तिवारी
Date: 28-03-2022 13:38:49
Reason: Approved

भवदीय,
(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या एव दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

(1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार, लखनऊ।

(2)- वन संरक्षक सहारनपुर वृत सहारनपुर।

(3)- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

(4)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर।

(5)- श्री सोमिल गर्ग एडीसन जनपद मैनेजर इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली।

(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आर0 पी0 सिंह)
अनु सचिव